"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक. जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2014— आश्विन 18, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-11/आठ-परि./2013.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 158 के उप-नियम (3) में, शब्द " चालक के विपरीत दूसरे बाजू पर " के स्थान पर, शब्द "चालक के दायीं ओर या बायीं ओर" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 163-क में, शब्द एवं चिन्ह " मोटर-केब एवं मैक्सी-केब" के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह " मोटर-केब, मैक्सी-केब एवं लोक सेवा यान, जो 136-160 इंच (3454-4064 मि.मी.) व्हील बेस अथवा कम व्हील बेस के हों," प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 5-11/ viii-Trans/2013.—In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rule, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (3) of Rule 158 for the words "opposite driver side", the words "on right or left side of the driver" shall be substituted.

2. In Rule 163-A for the words and symbol " motor- cab and maxi - cab", the words and symbol " motor cab. maxi cab. and public service vehicle having wheel base 136-160 inches (3454-4064 mm) or less wheel base". shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.